

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज, कानपुर, इलाहाबाद,
आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर।

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 2015

विषय:—प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-169 / चि0-3-14-जी-06 / 2013, दिनांक 22.01.2014 एवं शासनादेश संख्या-564 / चि0-3-14-जी-06 / 2013, दिनांक 28.02.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-35050 / 2015 डा0 विवेक कुमार सचान बनाम राज्य सरकार एवं दो अन्य में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश के संगत कार्यकारी आदेश निम्नवत हैं:—

".....In the meantime, we issue following directions-

- d) An officer of the state may appear in person for explaining the actual implementation of reservation in admission to the Post Graduate courses qua, members of PMS cadre within 30 per cent quota with due regard to the identification of the Primary Health Centre/ Community Health Centre on the basis of merit of such candidates.
- e) Admissions granted under the 30 percent to Post Graduate courses shall be subject to the orders to be passed in the present writ petition and all the candidates will be informed of this order by the State Government in writing.
- f) The vacant seats within 30 per cent quota may be filled on the basis of merit of candidates of PMS cadre if possible otherwise now.

The matter shall be listed next before appropriate Bench on 30-10-2015."

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अध्ययनरत पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-UP-868-51/चि-3-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
4. अध्यक्ष, प्रोविन्सियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, सी-142, ए-1, महानगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त निर्गत शासनादेशों से संवर्ग के समस्त सदस्यों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
6. कम्प्यूटर प्रभारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव